

कार्यालय
प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट,
पत्राक- 3254/12-1, दिनांक, बड़कोट, जून, 28, 2016।

सेवा में,

वन संरक्षक,
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड,
देहरादून।


विषय:- जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगांव अन्तर्गत बड़कोट तिलाडी हल्का मोटर मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित करना एवं डामरीकरण कार्य हेतु (लम्बाई 2 कि०मी०) 0.553 हे० वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम-1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति विषयक।

सन्दर्भ:- आपके कार्यालय पत्रांक-2956/12-1(1), दिनांक 03.05.2016।
महोदय,

कृपया अपने उपरोक्त सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून के स्तर से जारी ई०डी०एस० क्वेरी दिनांक 11.05.2016 के द्वारा प्रस्ताव में लगाई गई आपत्तियों का निराकरण करते हुए प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा बिन्दु संख्या-1 से 8 तक की सूचना अपने कार्यालय पत्रांक-19/40भू० दिनांक 15.06.2016 से इस कार्यालय को प्रेषित किया है। प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना को इस कार्यालय द्वारा आनलाईन आपलोड कर ई०डी०एस० के माध्यम से आपको प्रेषित किया जा रहा है। अतः अनुरोध है कि विषयगत प्रस्ताव स्वीकृति हेतु उच्च स्तर को प्रेषित करने की कृपा करें। हार्ड प्रति पृथक से डाक द्वारा प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,


(डी०के० सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट।

कार्यालय
अधिरासी अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, बड़कोट (उत्तरकाशी)



Website- <http://pwd.uk.gov.in>

e-mail- cepwdbarkot@rediffmail.com

दूरभाष/फैक्स नं० 01375-224756, fax 01375224828



पत्राक 19/492-
सेवार्ने

दिनाक 15/06/2016

प्रमागीय वनाधिकारी,
अपर यमुना वन प्रभाग,
बड़कोट।

विषय:- जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगांव के अन्तर्गत बड़कोट तिलाड़ी हल्का वाहन मोटर मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तन करना एवं डामरीकरण कार्य हेतु (लम्बाई 2.00 कि०मी०) 0553 हे० वन भूमि का वन संरक्षण (अधिनियम 1980 के तहत गैर वाणिकी कार्य हेतु लो०नि०वि० बड़कोट को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ:- प्रस्ताव संख्या- FP/UK/ROAD/10386/2015 एवं वन संरक्षक यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड देहरादून का पत्राक -2956/12-1(1) दिनांक, देहरादून मई 03/2016 एवं आपका पत्रांक

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव पर अपर वन संरक्षक /नोडल अधिकारी वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून के स्तर से जारी ई०डी०एस० क्वेरी दि० 11.05.2016 की आपत्तियों का विन्दुवार आख्या निम्नलिखित है:-

| क्र० सं० | आपत्ति | निराकरण |
|----------|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Short Narrative of the proposal for which the forest land is required does not give full description of the proposal it may be explained as to what constitutes upgradation. | The said road is light vechile Road & it Cannects Nagar Palika Barkot to Nogoan-Pouti- Rajgari-samol motor road and connects more then 200 villages of Banal Patti The mani mandi/marketing center of village arc barkot and also Distt Head quarter Uttarkashi and also yamnotri daam . It is shortest route to connect Banal patti to barkot and mostly used by villages for communication. The road is constructed light vechile road and after increasing densty of traffic its is required to convert this L.V.R to motor road so that heavy vechile can also utilize this road & being shortest route saving of timed and fuel etc. transportation and charges helps upliftmant of economy of villages , Present time the heavy vechile can not through Naougoan and 15 Km extra length and traffic jam problems at Naougoan. |
| 2 | Total period for which the forest land is proposed to be diverted is given as nil . this may be reviewed. | The total period for this project which the forest land is proposed to be diverd is 100 years . |
| 3 | The Details of person making application and that of the one authorized to file application do not match. | The Parposal of Forest Uploaded by Excutive Engineer C.D.P.W.D Barkot on its Approved I.D |
| 4 | The Proposal mentions that the proposal is not likely to generate any employment. This seems unlikely and may be reviewed. | This Project generate 20000.00 mandays employment. |

Page No 2


अधिरासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
बड़कोट

(2)

| | | |
|---|---|---|
| 5 | The note containing justification for locating the project in forest land does not specify the justification of the particular proposal. | To connect barkot town to banal Patti more then 200 villages beneficiabl by this road and non forest land is not available for construct of this road. |
| 6 | The area proposed for diversion, when seen on google earth , seems to have a existing road . It may be explained if diversion of this land under forest (Conservation) Act was sought before construction of the existing road. | The road is only ^{existing} L.V road and proposed ^{proposed} to be upgraded to motor road by Uttarkhand govt. and diversion of this land under forest conversion act 1980 was sought vide. Nodel officer and chief conservator van circle Uttar Pradesh , Lucknow L-118/14-3-1990 Van Anubhage-3 Lucknow/Dated/27 January, 1990 Encloser-1 |
| 7 | The FRA certificate of DM states the date of meeting of DLC as 09-12-2014 while the Gram sabha date has been mentioned as 19-01-2015. The meeting of DLC could not have preceeded the Gram sabha meeting. This may be reviewed. | The date of gram sabha in FRA certificate mentioned 19-01-2015 is subdivisonal is 19-01-2015 and DM certificate is 02-02-2015 Photo copy attached Hence FRA given by DM does not proceed the gram shaba meeting. Encloser-2 |
| 8 | GPS location of all turns on the proposed road may also be given on the software generated GIS maps in Part-I . Soft copy of shapefiles may also be provided. | GPS location of all turns on the exiting road given in software generated GIS maps in Part-I. Soft copy of shapefiles in Submitted and uploaded also. Encloser-3 |

अतः आपत्तियों का निराकरण कर आनलाइन अपलोड करने के उपरान्त अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

- संलग्न:-
1. CD & GIS Map Shape File
 2. पूर्व स्वीकृत वन भूमि की सत्य प्रतिलिपि।
 3. F.R.A


(ई0वी0डी0भट्ट)
अधिसासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0, बड़कोट

110- 111- 118 / 14-3-1970.

प्रेमक,

श्री एमओडि विभाग, विभाग प्रमुख, उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सोपान अधिकारी एवं वन संरक्षक, वन उपयोग सुल्ल, उत्तर प्रदेश, गोरखपुर।

वन अनुभाग-3

बड़गाँव - तिलकाई रोड, गोरखपुर

गोरखपुर / तिलकाई / 27 जनवरी, 1970

विषय:-

सार्वजनिक निर्माण विभाग को वन भूमि निःशुल्क हस्तांतरण की अनुमति।

महोदय,

मुझे यह पत्र का निर्देश हुआ है कि श्री राज्यपाल, सार्वजनिक निर्माण विभाग को संलग्न विवरण के अनुसार वन भूमि के निःशुल्क हस्तांतरण की निम्न शर्तों पर अनुमति प्रदान करते हैं :-

1।

यह उक्त भूमि का उपयोग केवल कृषि प्रयोजन हेतु ही किया जाएगा तथा व उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य विभाग तंत्र या अथवा व्यक्तियों को हस्तांतरित नहीं होगा।

2।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी, कर्मचारी अथवा जेडकार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनके सम्बन्धित व्यक्तियों को भी वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुंचायेगी और यदि उक्त व्यक्तियों द्वारा वन सम्पदा को क्षति पहुंचती है अथवा पहुंचाई जाती है तो उसके लिए सम्बन्धित प्रशासनिक प्रशासकों द्वारा तदर्थ निर्धारित प्रावधानों के अन्तर्गत निःशुल्क तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग पर लापता होने, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा देय होना।

3।

उक्त भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग के उपयोग में तब तक नहीं रहेगी जब कि सार्वजनिक निर्माण विभाग को उक्त भूमि प्रयोजन हेतु आवश्यकता रहे। यदि सार्वजनिक निर्माण विभाग को उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग को आवश्यकता न रहेगी तो भारतीयता उक्त भूमि अथवा उक्त भूमि का ऐसा भाग जो सार्वजनिक निर्माण विभाग के लिए आवश्यक न रहे, वन विभाग को सौंपकर वन विभाग द्वारा वन विभाग के सुझावों के बावजूद ही वापस हो जाएगा।

4।

वन विभाग तथा उसके अधिकारियों को विना भी तब तक वन सम्पदा को प्रकृत भूखण्ड पर प्रवेश करने या उसका निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

5।

उक्त भूमि हस्तांतरण के बाद भी संरक्षित / रक्षित वन भूमि नहीं रहेगी और यथावत सार्वजनिक विभाग में ही परचालित नहीं होगा।

सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा को भी और सुधारों पर लक्षित।

Photocopy Attested

Assistant Engineer
Cont. Div. P.W.D. Barkot

154

154

नियत अधिशासी अभियन्ता ।

पर्वतीय चिकित्सक अनुभाग - 3

सचिवालय का सार्वजनिक निर्माण अनुभाग-2/वित्त व्यवस्थापन अनुभाग-8

सम्बन्धित मुख्य वन संरक्षक

सम्बन्धित वन संरक्षक,

सम्बन्धित प्रशासकीय सहायक, ।

आज्ञा से,

EO/1/ एमओ सीओ सिस्टिपाल
विशेष सचिव ।

दिनांक/ 12.5.90.

Photocopy requested
Assistant Engineer
Cent. Div. P.W.D. Barkot

CLASSIFIED

ANNEXURE


**OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT Uttarkashi(U.K.)**

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Uttarkashi district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Indudhar Baurai I.A.S. District Magistrate Uttarkashi on date 09-12-2014 at Uttarkashi in which application claiming rights in forest land area measuring 0.533 hect for the Construction Division P.W.D. Barkot of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Barkot sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; Uttarkashi
Dated: 2.12.15


(Indudhar Baurai)
District Magistrate-cum-Chairman
District Level Committee
Uttarkashi.

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :- जनपद उत्तरकाशी के विकास एवं प्रगति के अंश के अन्तर्गत
हल्का ग्रेड वर्क को ग्रेड प्रार्थ में परिवर्तित करना एवं इस्वीकरण का
कार्य

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम उत्तर पंचायत व.स.काँ
तहसील कड़कोट, जिला उत्तरकाशी

अनापत्ति प्रमाण पत्र


उत्तराखण्ड में जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत उत्तर पंचायत व.स.काँ परियोजना
के निर्माण हेतु (30000 - 30000) हे० आरक्षित वन भूमि 0.5 हे० सिविल सोयम भूमि 2.5 हे०,
यह पंचायत भूमि 30000 - 30000 हे०) अर्थात् कुल 30000 हे० वन भूमि का
विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत उत्तर पंचायत व.स.काँ द्वारा दिनांक.....को
सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के
संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार
अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर
आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट
किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का
कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु
आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित
किया गया कि ग्राम उत्तर पंचायत व.स.काँ के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि
प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर
कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जा सत्य एवं सही है।

30/11/20
ग्राम पंचायत
उत्तरकाशी
अधिकारी
ग्राम पंचायत कड़कोट
उत्तरकाशी


30/11/20
ग्राम पंचायत

नोट :- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो
तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता
एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।


प्रपत्र-23.1

दिनांकको ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

19-1-2015

ग्राम पंचायते नगर पंचायत कडोले

| क्रमांक | ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम | हस्ताक्षर |
|---------|--|-----------|
| 1 | श्री गणेश शिवाजी | |
| 2 | दशरथ शिवाजी | |
| 3 | श्री गणेश शिवाजी | |
| 4 | श्री गणेश शिवाजी | |
| 5 | श्री गणेश शिवाजी | |
| 6 | श्री गणेश शिवाजी | |
| 7 | श्री गणेश शिवाजी | |
| 8 | श्री गणेश शिवाजी | |
| 9 | श्री गणेश शिवाजी | |
| 10 | श्री गणेश शिवाजी | |
| 11 | श्री गणेश शिवाजी | |
| 12 | श्री गणेश शिवाजी | |
| 13 | श्री गणेश शिवाजी | |
| 14 | श्री गणेश शिवाजी | |
| 15 | श्री गणेश शिवाजी | |


 HO/.....
 ग्राम प्रधान कडोले
 नगर पंचायत

परियोजना का नाम :- बड़कोट वि.वा.डी. हल्का मोटर मार्ग सुधारीकरण

प्रपत्र-232

कार्यालय उप जिलाधिकारी, बड़कोट
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, बड़कोट

उपखण्ड बड़कोट परिक्षेत्र के अन्तर्गत बड़कोट वि.वा.डी. हल्का मोटर मार्ग
बड़कोट हे0 आरक्षित वन भूमि, बड़कोट हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि बड़कोट हे0
वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल बड़कोट हे0 वन भूमि) का
बड़कोट वि.वा.डी. हल्का मोटर मार्ग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित
जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के
अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील बड़कोट) की दिनांक 19-1-2015 को
सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)
अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक
श्री देव मूर्ति शर्मा, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की
अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री देव मूर्ति शर्मा उपजिलाधिकारी बड़कोट अध्यक्ष बड़कोट
- 2- श्री जगदीश सिंह उप प्रभागीय वनाधिकारी बड़कोट सदस्य बड़कोट
- 3- श्री सहायक समाज कल्याण अधिकारी सदस्य/सचिव बड़कोट
- 4- श्री बी0डी0सी0 क्षेत्र सदस्य बड़कोट

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी
की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया
कि

बड़कोट वि.वा.डी. हल्का मोटर मार्ग परियोजना हेतु बड़कोट हे0 वन
भूमि सुधारीकरण हे0 0.433

प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों
के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त
भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उद्योग
हेतु प्रत्यावर्तन की अनुरासा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, बड़कोट द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य
परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008
के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन
अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया
है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड साकेत परिक्षेत्र के अन्तर्गत ~~परियोजना के निर्माण हेतु~~ परियोजना के निर्माण हेतु 0.50 हे० वन भूमि प्रयोक्ता एजेंसी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।


उप जिलाधिकारी / अखण्ड
उपखण्ड स्तरीय वन अखण्ड समिति
तहसील- साकेत
जनपद- सतना

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, सतना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अखण्ड
उपखण्ड स्तरीय वन अखण्ड समिति
तहसील- साकेत
जनपद- सतना

Enclure

डिजिटल मैप-जनापद उत्तरकाशी में विकासखण्ड नौगाव में बड़कोट - तिलाठी
हल्का मोटर मार्ग में परिवर्तित करना एवं लाभशीकरण हेतु



Legend

- Righting Zone
- Proposed Road

Digitized by *[Signature]*
Digitized by *[Signature]*
Digitized by *[Signature]*